



2020/60540

**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)  
**न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही**

|   |             |                                    |
|---|-------------|------------------------------------|
| <b>प्रार्थी/अपीलांत</b>   | <b>बनाम</b> | <b>अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट</b>       |
| श्री रणजीतसिंह पुत्र श्री जोधसिंह<br>जाति मुखेन्द्र राजपूत<br>निवासी झाड़ोली तहसील पिण्डवाड़ा<br>जिला सिरौही। |             | सरकार जरिये तहसीलदार<br>पिण्डवाड़ा |

किस्म मुकदमा— प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा  
5 म्याद अधिनियम

मुकदमा नं. 184 वर्ष 2020

| दिनांक हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज  | नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए |
|-------------|--|--|
| 27.10.2020  | <p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र नायब तहसीलदार पिण्डवाड़ा के मुकदमा सं. 43/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2020 के विरुद्ध धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत करने में हुई देशी की अवधि को कण्डोन कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश किया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.11.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><br/>जिला कलक्टर, सिरौही</p>   |  |
| 20.11.2020  | <p>अपीलांत/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांत द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में कोविड-19 के कारण देशी होना बताया गया है जो सद्भावनापूर्ण पाया जाता है। अतः अपीलांत/का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को प्रस्तुत होने में हुई विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"><br/>(भगवती प्रसाद)<br/>जिला कलक्टर, सिरौही</p> |  |

